न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/निर्णय व डिक्री/53/2020

1. मृतक घीसू खां पुत्र अब्दुलखांजी के कायम मुकाम :–
   1/1. मरियम पत्नी घीसू खांजी
   1/2 मृत मेहबूब खां पुत्र घीसू खांजी के कायम मुकाम –
      1/2/1 नसीम पत्नी मेहबूब खांजी
      1/2/2 तोकीर पुत्र मेहबूब खांजी
      1/2/3 अमन पुत्र मेहबूब खांजी
   1/3 अनवर खां पुत्र घीसू खांजी
   1/4 रसीद खा पुत्र घीसू खांजी
   1/5 शकूर खां पुत्र घीसू खांजी
2. मोहम्मद खां पुत्र अब्दुलखांजी
3. मोइद्दीन पुत्र हपेखांजी
4. मृतक रहीमबक्श पुत्र जमालखांजी के कायम मुकाम :–
   4/1 उमराव खांन पुत्र रहीमबक्शजी
   4/2 मृत सतार खां पुत्र रहीमबक्शजी के कायम मुकाम :–
      4/2/1 हनीफा बानो पत्नी सतार खांजी
      4/2/2 मो. सलीम पुत्र सतार खांजी
   4/3 मृत लाल मोहम्मद पुत्र रहीमबक्श के कायम मुकाम :–
      4/3/1 रोशन बानो पत्नी लाल मोहम्मदजी
      4/3/2 सिकन्दर पुत्र लाल मोहम्मदजी
      4/3/3 हनीफ पुत्र लाल मोहम्मदजी
   4/4 सदीक मोहम्मद पुत्र रहीमबक्शजी
5. मृतक नेनखां पुत्र हमेरखांजी के वारिसान का. मु.
   5/1 सुलतानखां पुत्र नेनखांजी
6. मृतक वजीरखां पुत्र हमेरखांजी के वारिसान का. मु.
   6/1 मिश्रुखां पुत्र वजीरखांजी
   6/2 हकीम खां पुत्र वजीरखांजी
   6/3 हाजी मोहम्मद पुत्र वजीरखांजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

7. फकीर मोहम्मद पुत्र अनुखांजी
जातिगण मुसलमान, निवासीगण नारलाई, तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.)

अपीलाण्ट्स ....

ब ना म

राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार महोदय, देसूरी

रेस्पोडेण्ट ....

उपस्थिति :-

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री नरेश पारंगी, सरकारी पैरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक :** 18/03/20

1. उपरोक्त अपील धारा 223 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत् अपीलाण्ट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 113/09 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2017 के विरूद्ध पेश की, जिसे दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों पक्षो की बहस सुनी गई।
2. सर्वप्रथम अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अपील देरी से पेश किये जाने बाबत् धारा 5 का आवेदन मय शपथ पत्र पेश किया गया कि अधिवक्ता द्वारा अपीलाण्ट्स को सूचना नहीं दी गई थी इसलिए समय पर अपील पेश नहीं की जा सकी। अधिवक्ता की गलती का दण्ड पक्षकार को नहीं दिया जाना चाहिए। अपीलाण्ट्स गरीब, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले कृषक व्यक्ति है, जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है, इसलिए अपील विलम्ब में जो देरी हुई है, उसे माफ किया जावें। अपने तर्को के संबंध में 2018(1) आरआरटी पेज 601 (एससी) और 2020(1) डीएनजे पेज 147 (एससी) न्यायिक दृष्टान्त पेश किये, जिस अनुसार म्याद के मामले में सारभूत न्याय के लिए उदार रूख अपनाना चाहिए और न्यायालय द्वारा 2928 दिन का विलम्ब माफ किया गया है। इसके अलावा भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1998 आरआरडी पेज 319, 2005 आरआरडी पेज 42, 2012(1) आरआरटी पेज 711, 727 इत्यादि न्यायिक दृष्टान्तो में यह प्रतिपादित किया गया है कि तकनीकी आधार पर एवं म्याद के आधार पर प्रकरण को खारिज करने से पूर्व उस प्रकरण की मैरिट को न्यायालय द्वारा देखा जाना चाहिए और मैरिट पर प्रकरण ठोस हो तो मैरिट पर ही निर्णित किया जाना चाहिए।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

3. अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा मैरिट पर अपील मीमो में वर्णित अनुसार निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स के पूर्वज हमेखां व अबेखां को धारा 15 व 19 के तहत् दिनांक 09.10.1972 को ग्राम नारलाई के गत खसरा नम्बर 826 में से 31 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर संवत् 2012 से लगातार कब्जा होने के आधार पर नियमन करते हुए खातेदारी अधिकार रेस्पोडेण्ट द्वारा दिये गये थे, जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी संवत् 2030 से 2033 में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। उसी समय देसूरी तहसील में भू–प्रबंध कार्य शुरू हो गया, इस कारण से नई आगामी जमाबंदी तैयार नहीं की गई और भू–प्रबंध के दौरान विभाग द्वारा पर्चा लगान व खतौनी संवत् 2041–60 तैयार की, उसमें गत खसरा नम्बर 826 के वर्तमान खसरा नंबर 1185 रकबा 1.36 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1184/2658 रकबा 1.11 हैक्टेयर कुल रकबा 2.47 हैक्टेयर की खातेदारी दर्ज कर दी, जो खातेदारी मात्र 15 बीघा 8 बिस्वा की दर्ज की। जबकि भू–प्रबंध विभाग के पूर्व खातेदारी 31 बीघा 1 बिस्वा की थी। इस प्रकार शेष खातेदारी भूमि के नये खसरा नंबर 1112/2657 रकबा 2.22 हैक्टेयर भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया। उक्त खसरा नंबर 1112/2657 गत खसरा नंबर 826 से ही बना है। भू–प्रबंध विभाग को किसी व्यक्ति के खातेदारी रकबे को घटने अथवा बढाने का अधिकार नहीं है एवं गत प्रविष्टि रिपीट की जाना आज्ञापक है। भू–प्रंबध विभाग द्वारा भूमि को सिवायचक करना अवैध है।

4. उपरोक्त वाद में रेस्पोडेण्ट की ओर से जवाब पेश किया गया था, जिसमें नियमन करना स्वीकार किया गया और अपीलार्थी का कब्जा भी स्वीकार किया गया, लेकिन अन्य तथ्य अस्वीकार किया गया। अभिवचनों के आधार पर कुल 7 तनकीयात कायम की गई। अपीलाण्ट ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 अपीलार्थी के नाम गत खसरा नंबर 826 रकबा 31 बीघा 1 बिस्वा की खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 09.10.1972, प्रदर्श–2 उपरोक्त आदेश का इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2030–33 में किया गया व जमाबंदी, प्रदर्श–3 व 4 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–5 ओवरलेपिंग नक्शा, प्रदर्श– 6 भू–प्रबंध विभाग की खतौनी, प्रदर्श– 7 जमाबंदी संवत् 2058–61, प्रदर्श– 8 खतौनी बदोबस्त और प्रदर्श– 9 वर्तमान जमाबंदी तथा प्रदर्श– 10 वर्तमान नक्शा पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी.डब्ल्यू.– 1 घीसूखां, पी.डब्ल्यू.– 2 हकीमखां, पी.डब्ल्यू.– 3 मोईद्दीन, पी.डब्ल्यू.– 4 मो. खां, पी. डब्ल्यू.– 5 फकीर मोहम्मद, पी.डब्ल्यू.–6 किशनलाल, पी.डब्ल्यू.– 7 मोहम्मद सलीम, पी.डब्ल्यू.– 8 शिवलाल, पी.डब्ल्यू.– 9 दिनेश शर्मा के शपथ पत्र पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किये और बयान करवाये, सभी ने वादपत्र में वर्णित अभिवचनो की ताईद की। रेस्पोडेण्ट की ओर से साक्ष्य में सरकारी गवाह डी.डब्ल्यू.– 1 के रूप में पटवारी छगनलाल को पेश किया। तत्पश्चात् दोनों पक्षो की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य को नहीं मानते हुए वाद को खारिज कर दिया।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 ''आया वादग्रस्त आबादी खसरा नंबर 1112/2657 रकबा 2.22 हैक्टेयर की वादीगण खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।'' उक्त तनकी के संबंध में अपीलाण्ट्स ने कुल 9 गवाह पेश किये थे और प्रदर्श– 1 से 9 दस्तावेज पेश कर साबित किये गये थे, जिसके खण्डन में रेस्पोडेण्ट की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में कोई साक्ष्य पेश नहीं की, साथ ही मौखिक साक्ष्य के रूप में डी.डब्ल्यू.– 1 छगनलाल पटवारी को पेश किया है, गवाह पटवारी ने अपीलाण्ट के संपूर्ण अभिवचनो व दस्तावेजो को स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेण्ट के गवाह द्वारा दिये गये बयानो के आधार पर ही अपीलार्थी का वाद स्वतः ही डिक्री योग्य रहता है। जहां रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी द्वारा वाद में वर्णित अभिवचनो को अथवा वादी के दस्तावेजो को स्वीकार कर लिया जाता है वहां वाद स्वतः ही डिक्री योग्य रहता है, साथ ही धारा 58 भारतीय साक्ष्य अधिनियम अनुसार स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तनकी अपीलाण्ट्स के पक्ष में ही निर्णित योग्य है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से अपीलाण्ट्स के विरूद्ध निर्णित की है। साथ ही दस्तावेज प्रदर्श– 1 व 2 अनुसार गत खसरा नंबर 826 रकबा 31 बीघा 1 बिस्वा भूमि अपीलार्थी के पूर्वज हमेखां व अबेखां के खातेदारी की घोषित करते हुए जमाबंदी संवत् 2030–33 में दर्ज की थी। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा केवल 15 बीघा 8 बिस्वा की खातेदारी दर्ज की, शेष भूमि को खसरा नम्बर 1112/2657 रकबा 2.22 हैक्टेयर के रूप में सरकारी सिवायचक दर्ज कर दिया, जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं है। उक्त खसरा नम्बर 1112/2657 गत खसरा नं. 826 से ही बने है, इस संबंध में मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 3 व 4 पेश किये। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज प्रदर्श– 1 से 10 सरकारी दस्तावेज है अर्थात् सरकारी राजस्व विभाग एवं सेटलमेंट विभाग द्वारा तैयार किये गये दस्तावेज है, जिसकी सत्यता बाबत् कोई संदेह नहीं रहता है। उपरोक्त आदेश दिनांक 09.10.1972 अति. जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश की पालना में दिये गये थे, जो आदेश विधिक है, जिसे आज दिन तक कभी भी किसी भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है और उपरोक्त आदेश पारित किये हुए करीब 48 वर्ष हो चुके है, ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 को अपीलार्थी के पक्ष में निर्णित की जावें।

6. तनकी संख्या 2 ''आया पुराना खसरा नंबर 826 रकबा 31 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि वादीगण की पुरानी पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा सुद है।'' उक्त तनकी के संबंध में दस्तावेज प्रदर्श– 1 व 2 पेश किये थे, जिसके खण्डन में कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य रेस्पोडेण्ट की ओर से पेश नहीं की थी, बल्कि रेस्पोडेण्ट के गवाह ने उक्त प्रदर्श– 1 व 2 दस्तावेज को स्वीकार किया था, इस कारण से उक्त तनकी स्वतः ही अपीलाण्ट्स के पक्ष में निर्णित की जानी चाहिए थी। इसी तरह तनकी संख्या 3 ''आया वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1112/2657 जो पुराना खसरा नंबर 826 का भाग है।'' उक्त तनकी के संबंध में दस्तावेज प्रदर्श– 3 व 4 मिलान क्षेत्रफल पेश किया था, जो सरकारी दस्तावेज है, जिसके आधार पर उक्त खसरा नंबर 1112/2657 गत खसरा नंबर 826 से ही बना होना प्रमाणित है, फिर भी उक्त दोनों तनकीयात को अपीलाण्ट्स के विरूद्ध गलत रूपसे निर्णित की गई है।

7. तनकी संख्या 4 ''आया सेटलमेंट विभाग ने गलत रूप से वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज कर दी।'' उक्त तनकी को निर्णित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विवेचन में यह तो अवश्य दर्ज किया है कि अपीलाण्ट्स के पिता/दादा के नाम सेटलमेंट के बाद जो भूमि दर्ज की है वो क्षेत्रफल के अनुपात में कम अवश्य दर्ज की है, फिर भी उक्त तनकी को अपीलाण्ट्स के विरूद्ध निर्णित की है, जो समझ से परे है। ऐसा लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल वाद खारिज करने के उद्देश्य मात्र से ही स्वीकृत दस्तावेजो व तथ्यो की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये है, जो अवैध व अनुचित है। सेटलमेंट विभाग को किसी भी व्यक्ति के खातेदारी अधिकारो को कम करने व बढाने का विधिक रूप से कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा 2020(1) आरआरटी पेज 24, 37, 2018(2) आरआरटी पेज 1030, 2019(2) आरआरटी पेज 970, 2003 आरआरडी पेज 175 पेश की, जिस अनुसार सेटलमेंट विभाग गत प्रविष्टि को रिपिट करने हेतु बाध्य है। इसी तरह तनकी संख्या 5 ''आया वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुरानी पुश्तैनी कब्जा सुद है।'' उक्त तनकी के संबंध में दस्तावेज प्रदर्श– 1 पेश हुआ है, जो कि रेस्पोडेण्ट भूमिधारी द्वारा ही पारित आदेश है, जिसे भूमिधारी रेस्पोडेण्ट विबंधन के सिद्धान्त से बाधित है अर्थात् उक्त दस्तावेज प्रदर्श– 1 आदेश दिनांक 09.10.1972 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विरूद्ध कुछ भी कथन करने से भूमिधारी तहसीलदार प्रतिबंधित है। इसी तरह तनकी संख्या 6 ''आया वादी अतिक्रमी है।'' उक्त तनकी के संबंध में उपरोक्त वर्तमान खसरा नंबर 1112/2657 रकबा 2.22 हैक्टेयर भूमि को सिवाय चक दर्ज होना मानते हुए उपरोक्त भूमि पर अपीलाण्ट्स का कब्जा होना स्वीकार किया है, लेकिन कब्जा अतिक्रमी के रूप में होना मानते हुए उक्त तनकी को रेस्पोडेण्ट के पक्ष में निर्णित की है। जब वाद ही उक्त खसरा नंबर व रकबा की भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का था, जिस पर कब्जा व काश्त स्वीकृत रूप से संवत् 2012 से पूर्व होना साबित है, जिसे रेस्पोडेण्ट ने स्वीकार किया है। इस कारण से भी उक्त तनकी रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध निर्णित योग्य थी।

8. खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु विधि में कोई म्याद नहीं है और रेस्पोडेण्ट के गवाह डी.डब्ल्यू–1 छगनलाल के बयानो से ही अपीलाण्ट्स का वाद डिक्री योग्य था, साथ ही अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श– 1 से 9 अनुसार वाद स्वतः ही डिक्री योग्य था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अदृश्य कारणों से वाद को खारिज किया है। इसलिए अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

9. रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया कि अपील म्याद बाहर पेश की गई है, जिस बाबत् ठोस व पर्याप्त कारण नहीं बताये है, इसलिए म्याद पर ही खारिज योग्य है। इसके अलावा मैरिट पर निवेदन किया है कि तहसीलदार को धारा 15 में खातेदारी देने के अधिकार नहीं थे, इसलिए तहसीलदार के आदेश दिनांक 09.10.1972 के आधार पर अपीलाण्ट्स के पूर्वजो को दी गई खातेदारी गलत है। सेटलमेंट विभाग द्वारा गत खातेदारी के मुकाबले कम खातेदारी दर्ज की गई है, तो इस संबंध में सेटलमेंट विभाग में उजरदारी अथवा कार्यवाही की जानी थी जो नहीं कर लम्बे समय बाद वाद पेश किया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। इसलिए अपील खारिज की जावें।

10. दोनों पक्षो की बहस सुनी गई, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम धारा 5 के आवेदन को निर्णित करना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में अपील देरीना पेश करने बाबत् जो कारण दिये गये है, उसके खण्डन में रेस्पोडेण्ट की ओर से न तो जवाब पेश हुआ है, न ही शपथ पत्र पेश हुआ है, इसके अलावा भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2018(1) आरआरटी पेज 601 (एससी) और 2020(1) डीएनजे पेज 147 (एससी) अनुसार म्याद के मामले में सारभूत न्याय के लिए

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उदार रूख अपनाना चाहिए और न्यायालय द्वारा 2928 दिन का विलम्ब माफ किया गया है। इसके अलावा भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1998 आरआरडी पेज 319, 2005 आरआरडी पेज 42, 2012(1) आरआरटी पेज 711, 727 इत्यादि न्यायिक दृष्टान्तो में यह प्रतिपादित किया गया है कि तकनीकी आधार पर एवं म्याद के आधार पर प्रकरण को खारिज करने से पूर्व उस प्रकरण की मैरिट को न्यायालय द्वारा देखा जाना चाहिए और मैरिट पर प्रकरण ठोस हो तो मैरिट पर ही निर्णित किया जाना चाहिए। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो की रोशनी में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाना न्यायोचित है।

11. अपील की मैरिट के संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रदर्श– 1 से 10 जो सभी सरकारी राजस्व विभाग व भू–प्रबंध विभाग के दस्तावेज है, जिसकी सत्य होने की अवधारणा विधिक रूप से की जाती है। उपरोक्त दस्तावेजो को रेस्पोडेण्ट द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। उक्त दस्तावेजात से यह साबित है कि अपीलाण्ट्स के पूर्व हमेखां व अबेखां को ग्राम नारलाई के गत खसरा नम्बर 826 रकबा 31 बीघा 1 बिस्वा के खातेदारी अधिकार आदेश दिनांक 09.10.1972 द्वारा दिये गये थे, इस संबंध में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2030 से 2033 में किया गया था। तत्पश्चात् देसूरी तहसील में भू–प्रबंध का कार्य हो जाने से आगामी जमाबंदियां तैयार नहीं की गई और भू–प्रबंध के बाद में पर्चा एवं खतौनी और जमाबंदियां तैयार हुई उसमें गत खसरा नम्बर 826 के नये खसरा नम्बर 1185 रकबा 1.36 हैक्टेयर, 1184/2658 रकबा 1.11 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 1112/2657 रकबा 2.22 हैक्टेयर मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 3 और 4 अनुसार बने है, जिसमें से खसरा नंबर 1185 व 1184/2658 कुल रकबा 2.47 हैक्टेयर की खातेदारी उपरोक्त अपीलाण्ट्स के पूर्वजो के नाम दर्ज कर ली, लेकिन खसरा नम्बर 1112/2657 रकबा 2.22 हैक्टेयर भूमि को भू–प्रबंध विभाग द्वारा अपीलाण्ट्स के पूर्वजो के नाम दर्ज नहीं कर सिवायचक किस आधार पर दर्ज किया, इसका कोई कारण न तो राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, न ही रेस्पोडेण्ट द्वारा बताया गया है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो अनुसार भू–प्रबंध विभाग को किसी व्यक्ति की खातेदारी अधिकारो को कम करने अथवा बढाने का अधिकार नहीं है, सेटलमेंट विभाग का कृत्य अवैध है। इसके अलावा अपीलाण्ट्स के अभिवचनो एवं दस्तावेजो को रेस्पोडेण्ट के गवी डी.डब्ल्यू–1 छगनलाल ने अपने बयानो में स्वीकार किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

12. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 को निर्णित करने में विधिक रूप से भूल की गई है, क्योंकि अपीलाण्ट्स के पूर्वजो के नाम रेस्पोडेण्ट के आदेश दिनांक 09.10.1972 द्वारा रकबा 31 बीघा 1 बिस्वा की खातेदारी दी गई थी, जिसका जमाबंदी संवत् 2030 से 2033 में इन्द्राज किया गया था, लेकिन भू–प्रबंध के बाद खातेदारी केवल 15 बीघा 8 बिस्वा ही दर्ज की, शेष भूमि 2.22 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1112/2657 को सिवायचक दर्ज कर दिया। अगर आदेश दिनांक 09.10.1972 अवैध अथवा गलत था तो पूरी जमीन को सिवाय चक किया जाता, आधी जमीन तो अपीलाण्ट्स के नाम दर्ज कर दी और शेष आधी सिवायचक दर्ज करने का कारण दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य अनुसार तनकी संख्या एक अपीलाण्ट्स के पक्ष में निर्णित होने से निर्णित की जाती है।

13. तनकी संख्या 2 के संबंध में दस्तावेज प्रदर्श– 1 व 2 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसके खण्डन में कोई दस्तावेज रेस्पोडेण्ट की ओर से पेश नहीं किया है, न ही कोई मौखिक साक्ष्य पेश की है, इस कारण से उपरोक्त तनकी अपीलार्थी के पक्ष में निर्णित योग्य होने से निर्णित की जाती है।

14. तनकी संख्या 3 दस्तावेज प्रदर्श– 3 व 4 मिलान क्षेत्रफल अनुसार स्वतः ही अपीलाण्ट्स के पक्ष में निर्णित योग्य है, क्योंकि वर्तमान खसरा नंबर 1112/2657 गत खसरा नंबर 826 से मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 3 व 4 अनुसार बनना साबित है, इसलिए तनकी संख्या तीन को भी अपीलार्थीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

15. तनकी संख्या 4 को भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से निर्णित की है। ऊपर के पदो में यह फाईडिंग दी गई है कि सैटलमेन्ट विभाग को किसी भी व्यक्ति के खातेदारी अधिकारो को घटाने व बढाने का कोई अधिकार नहीं है और इस संबंध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो अनुसार भी नहीं है। इसलिए उक्त तनकी संख्या चार स्वतः ही अपीलाण्ट्स के पक्ष में निर्णित योग्य होने से निर्णित की जाती है।

16. तनकी संख्या 5 दस्तावेज प्रदर्श– 1 आदेश दिनांक 09.10.1972 और बयान पटवारी छगनलाल डी.डब्ल्यू–1 अनुसार अपीलाण्ट्स का वादग्रस्त भूमि पर पुराना कब्जा होना साबित है, इसलिए भी तनकी संख्या पांच भी अपीलाण्ट्स के पक्ष में निर्णित योग्य होने से निर्णित की जाती है।

17. तनकी संख्या 6 रेस्पोडेण्ट के जिम्मे थी, लेकिन रेस्पोडेण्ट द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की, बल्कि रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य डी.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

डब्ल्यू–1 पटवारी छगनलाल के बयानो अनुसार अपीलाण्ट्स अतिक्रर्मी नहीं होकर माफिक आदेश खातेदार व काबिज होना स्वीकार किया है, इसलिए तनकी संख्या 6 को रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

18. इस प्रकार तनकी संख्या 1 से 5 अपीलाण्ट्स के पक्ष में निर्णित होने एवं तनकी संख्या 6 रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध निर्णित होने से अपीलाण्ट्स की अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है और अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2017 को अपास्त किया जाता है एवं अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। अपीलाण्ट्स को ग्राम नारलाई के वर्तमान खसरा नम्बर 1112/2657 रकबा 2.22 हैक्टेयर भूमि का वाद में वर्णित हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है अर्थात् अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 को 1/4 हिस्से का, अपीलाण्ट संख्या 3 को 1/8 हिस्से का, अपीलाण्ट संख्या 4 को 1/4 हिस्से का, अपीलाण्ट संख्या 5 को 1/8 हिस्से का, अपीलाण्ट संख्या 6 को 1/8 हिस्से का व अपीलाण्ट संख्या 7 को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही अपीलाण्ट्स के पक्ष में एवं रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि उपरोक्त भूमि में अपीलाण्ट्स के कब्जे, काश्त उपयोग, उपभोग में रेस्पोडेण्ट अथवा उनके अधीनस्थ कर्मचारी किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे। राजस्व रेकर्ड में माफिक निर्णय व डिक्री रेस्पोडेण्ट भूमिधारी तहसीलदार द्वारा अमलदरामद किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 18/09/20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली (राज.)

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑर्डर 41, रूल्स जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceedure Coade, Appendix "4"9)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/निर्णय व डिक्री/53/2020

1. मृतक घीसू खां पुत्र अब्दुलखांजी के कायम मुकाम :–
   1/1. मरियम पत्नी घीसू खांजी
   1/2 मृत मेहबूब खां पुत्र घीसू खांजी के कायम मुकाम –
      1/2/1 नसीम पत्नी मेहबूब खांजी
      1/2/2 तोकीर पुत्र मेहबूब खांजी
      1/2/3 अमन पुत्र मेहबूब खांजी
   1/3 अनवर खां पुत्र घीसू खांजी
   1/4 रसीद खा पुत्र घीसू खांजी
   1/5 शकूर खां पुत्र घीसू खांजी
2. मोहम्मद खां पुत्र अब्दुलखांजी
3. मोइद्दीन पुत्र हपेखांजी
4. मृतक रहीमबक्श पुत्र जमालखांजी के कायम मुकाम :–
   4/1 उमराव खांन पुत्र रहीमबक्शजी
   4/2 मृत सतार खां पुत्र रहीमबक्शजी के कायम मुकाम :–
      4/2/1 हनीफा बानो पत्नी सतार खांजी
      4/2/2 मो. सलीम पुत्र सतार खांजी
   4/3 मृत लाल मोहम्मद पुत्र रहीमबक्श के कायम मुकाम :–
      4/3/1 रोशन बानो पत्नी लाल मोहम्मदजी
      4/3/2 सिकन्दर पुत्र लाल मोहम्मदजी
      4/3/3 हनीफ पुत्र लाल मोहम्मदजी
   4/4 सदीक मोहम्मद पुत्र रहीमबक्शजी
5. मृतक नेनखां पुत्र हमेरखांजी के वारिसान का. मु.
   5/1 सुलतानखां पुत्र नेनखांजी
6. मृतक वजीरखां पुत्र हमेरखांजी के वारिसान का. मु.
   6/1 मिश्रुखां पुत्र वजीरखांजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

6/2 हकीम खां पुत्र वजीरखांजी

6/3 हाजी मोहम्मद पुत्र वजीरखांजी

7. फकीर मोहम्मद पुत्र अनुखांजी

जातिगण मुसलमान, निवासीगण नारलाई, तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.)

अपीलाण्ट्स ....

ब ना म

राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार महोदय, देसूरी

रेस्पोडेण्ट ....

अपील संख्या / बनाराजगी निर्णय व डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी, देसूरी दिनांक 25.10.2017, राजस्व वाद संख्या 113/2009 दावा बाबत् 88, 89, 92ए, 188 राज. टिनेन्सी एक्ट

यह अपील बतारीख 18/09/20 को रूबरू हमारे व बहाजिर श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थीगण, रेस्पोडेण्ट सरकारी पैरोकार समायत होकर हुक्म हुआ कि लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाण्ट्स को ग्राम नारलाई के वर्तमान खसरा नम्बर 1112/2657 रकबा 2.22 हैक्टेयर भूमि का वाद में वर्णित हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है अर्थात् अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 को 1/4 हिस्से का, अपीलाण्ट संख्या 3 को 1/8 हिस्से का, अपीलाण्ट संख्या 4 को 1/4 हिस्से का, अपीलाण्ट संख्या 5 को 1/8 हिस्से का, अपीलाण्ट संख्या 6 को 1/8 हिस्से का व अपीलाण्ट संख्या 7 को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही अपीलाण्ट्स के पक्ष में एवं रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि उपरोक्त भूमि में अपीलाण्ट्स के कब्जे, काश्त उपयोग, उपभोग में रेस्पोडेण्ट अथवा उनके अधीनस्थ कर्मचारी किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे। राजस्व रेकर्ड में माफिक निर्णय व डिक्री रेस्पोडेण्ट भूमिधारी तहसीलदार द्वारा अमलदरामद किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर, मुहर अदालत आज तारीख 18/09/20 को जारी किया गया।

मुहर अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली (राज.)